रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 1980/पौष 21, 1901
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 1980/PAUSA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1980

का. आ. 14(अ)/18 च ख/उ वि वि अ/80.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 37(अ)/18 च ख/उ वि वि अ/75, तारीख 17 जनवरी, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का प्रवर्तन (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनका मैसर्स मोटर और मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि तक निलम्बित रहेंगे और उस तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि को 16 जनवरी, 1980 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 16 जनवरी, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा. 2(35)/79-सी.यू.सी.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th January, 1980

S.O. 14(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No

S.O. 37(E)/18FB/IDRA/75, dated the 17th January, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of secetion 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertakings known as Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 16th January, 1980;

And whereas the Central Government satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Registration Act. 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 16th January, 1981.

[F. No. 2(35)/79-CUS]

आदेश

का. आ. 15(अ)/18 कक/औ वि वि अ/80.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथा संशोधित) आदेश सं. का. आ. 22(अ)/18 कक/औ.वि.वि.आ./73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल एण्ड कम्पनी, डाइवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के अधीन 14 जनवरी, 1980 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, 7 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन दो वर्ष की और अवधि तक रखा जाए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 14 जनवरी, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, दो वर्ष की और अवधि तक प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 4(11)/72-सी.यू.सी.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 15(E)/18AA/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73 dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the Industrial undertaking known as Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of seven years up to and inclusive of 14th January, 1980 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited for a further period of two years.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the said Act, the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period of two years up to and inclusive of 14th January, 1982.

[F. No. 4(11)/72CUC]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980